

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

माह दिसम्बर, 2016 के राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान मुख्यालय पर आहूत साप्ताहिक बैठक दि० 05-01-2017 में पाया गया कि विमुद्रीकरण के उपरान्त माह नवम्बर में कतिपय व्यापारिक सम्बन्धियों यथा ज्वैलर्स, महँगे मोबाइल सेट, ऑटोमोबाइल, मेन्था डीलर्स, बिल्डिंग मैटेरियल, बिल्डर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक गुड्स, एफ०एम०सी०जी० व रियल स्टेट, द्वारा भारी मात्रा में खरीद किये जाने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाश में आने के उपरान्त भी उसके सापेक्ष राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। इस सम्बन्ध में कमिश्नर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं करनिर्धारण / प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान न लेते हुए कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है क्योंकि यदि दिये गये निर्देशों के क्रम में व्यापारिक प्रतिष्ठान के स्टॉक एवं उनके द्वारा दाखिल रुपपत्र एवं जमा कर की समुचित समीक्षा की गयी होती तो राजस्व वृद्धि निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक होती। इस स्थिति पर कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा "अप्रसन्नता" व्यक्त की गयी है।

उक्त सन्दर्भ में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा दिये गये निर्देश एवं व्यक्त की गयी अप्रसन्नता आपको संसूचित करते हुए आपसे यह अपेक्षित है कि अपने अधिक्षेत्र स्थित उक्त ट्रेडो का व्यापार करने वाले व्यापारियों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में दि० 07-01-2017 तक प्रत्येक दशा में ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०) की मेल आईडी० ctsibhqlu-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सूचना प्राप्त न होने की दशा में वस्तुस्थिति से कमिश्नर, वाणिज्य कर को अवगत करा दिया जायेगा।

क्र०सं०	व्यापारिक वस्तुएँ	व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या जिनकी जाँच की गयी	जाँच परिणाम	कृत कार्यवाही (यदि कोई धनराशि जमा करायी गयी है तो उसका विवरण)
1.	ज्वैलर्स			
2.	महँगे मोबाइल सेट,			
3.	ऑटोमोबाइल			
4.	मेन्था डीलर्स			
5.	बिल्डिंग मैटेरियल			
6.	बिल्डर्स,			
7.	इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक गुड्स,			
8.	एफ०एम०सी०जी०			
9.	रियल स्टेट			

(रघुबीर)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।